बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(बिहार सचिवालय ग्रंथागार, पटना)

ज्ञाप संख्या–वि०स०ग्र०–04/2011......322........../पटना–15, दिनांक– 27 जुलाई, 2012

निविदा सूचना

मंत्रिमंडल सचिवालय विभागाधीन बिहार सचिवालय ग्रंथागार, पटना (बैरक संख्या–16) मुख्य सचिवालय, पटना–15 के लिए स्टील का शीशा युक्त एकल स्लाईडिंग दो दरबाजा वाला 40 (चालीस) (जिसे बढ़ाया भी जा सकता है) आलमीरा की आपूर्ति हेतु दर निर्धारण के लिए अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से द्विलिफाफा प्रणाली के अन्तर्गत तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफा में निबंधित आपूर्तिकर्त्ता से आमंत्रित की जाती है :–

क्र०	सामग्री का नाम	आकार	विशिष्टियाँ	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	स्टील का शीशायुक्त एक स्लाइडिंग दो दरबाजा वाला आलमीरा	78"x38"x18"	22 गेज के सी० आर०सी० सीट से निर्मित होना चाहिए	निर्दिष्ट रीति से रंग/पेंट कर आलमीरा की आपूर्ति की जायेगी।

निविदा की आवश्यक शर्तें :–

(क) **तकनीकी निविदा** :–

1. निविदादाता को तकनीकी निविदा में उनके फर्म का वाणिज्य कर में निबंधन प्रमाण–पत्र/आयकर PAN संख्या/अद्यतन आयकर स्वच्छता प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा।
2. निविदादाता को उनके फर्म/प्रतिष्ठान को किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किये जाने के आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता को 18,000.00 (अठारह हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के नाम से देय होगा, मूल रूप में तकनीकी निविदा में दिया जायेगा।

(ख) **वित्तीय निविदा** :–

4. वित्तीय निविदा में प्रति आलमीरा दर, सभी कर, अधिभार ग्रंथागार तक आलमीरा पहुँचाने का परिवहन व्यय आदि को सम्मिलित करते हुए अंकित करना होगा।

(ग) **अन्य शर्तें** :–

1. निविदादाता द्वारा तकनीकी लिफाफा और वित्तीय लिफाफा अलग–अलग सील बंद तैयार किया जायेगा और इसे दिनाक–22.08.2012 के अपराह्न 3:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा। लिफाफे के उपर फर्म का नाम तकनीकी/वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
2. निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त निविदाएँ दिनांक–22.08.2012 को अपराह्न 4:00 बजे प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति या उनके द्वारा प्राधिकृत समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उस समय उपस्थित रह सकते हैं।
3. तकनीकी रूप से स्वीकृत निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
4. न्यूनतम दर के सफल निविदादाता को आपूर्ति आदेश दिया जायेगा परन्तु इसके पूर्व उन्हें विहित रूप से एकरारनामा करना होगा।
5. असफल निविदादाता को उनकी सुरक्षित राशि तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
6. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बतायें निविदा को अस्वीकृत करने अथवा शर्त्तों में यथावश्यक संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
7. निविदा की सूचना विभागीय वेवसाईट www.csd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव
25/7/12